समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का दशम सत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2023 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 10 नवम्बर, 2023 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-पाँच बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 सदन पटल पर रखा गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 01 (एक) विधेयक एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 02 (दो) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-09 (नौ) जननायकों के निधन के प्रति शोक व्यक्त किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा राज्य के जाति गणना से संबंधित सरकार का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया ।

दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

(1)बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023.

(2)बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023.

(3)बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023.

(4)बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन), 2023.

(5)बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023.

(6)बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023.

सत्र के दौरान कुल-891 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 739 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 739 प्रश्नों में कुल-33 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल-617 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 557 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 89 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल-128 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 116 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 04 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-170 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 168 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल-130 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 118 स्वीकृत एवं 12 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-100 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, एक मिनट आपने पत्रकार को एवं मीडिया बंधुओं को बधाई देने का काम किया बहुत अच्छा । कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष राज्य के दर्जा का जिक्र किया, किसी मीडिया ने इसको छापा नहीं । यह बिहार के लिए बड़ा ही लाभकारी चीजें हैं । यह आगे आने वाले बिहार के विकास के लिए लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मीडिया बन्धुओं कृपा कर के इसको हाई लाईट करें ।

अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में इन्होंने सदन के जो सामने रखने का काम किया कि केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे । अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जी ने बिहार को प्रगति के रास्ते पर

ले जाने का काम कर रहे हैं । माननीय मंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री के सहयोग से अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो बिहार के विकास और होंगे । चाहिए भी विशेष राज्य का दर्जा, इसे भारत सरकार दे, इसमें किसी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कि भारत सरकार का यह जिम्मेवारी और दायित्व बनता है । केन्द्र को बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए जो बार-बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा मांग करने के बाद भी वह पूरा नहीं किया जा रहा है, यह एक दुखद बात है । मैं मीडिया कर्मियों के भाईयों से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो मांग विशेष राज्य के दर्जा के लिए किया है आप उसे निश्चित रूप से छापने और पूरी बातों को जनता के बीच भेजने का काम करें, इसलिए कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तम्भ हैं, सही बात को आपको तस्वीर को ले आना चाहिए ताकि राज्य की जनता जानें कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इनके नेतृत्व के सारे मंत्रिपरिषद् के लोग हैं काफी सिंसियरिटी के साथ इस राज्य के तरक्की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं । इसका संदेश आपके मीडिया बन्धुओं का दायित्व बनता है कि इस बात को निश्चित रूप से छापने का काम करेंगे । मैं आपलोंगों को तो धन्यवाद दे ही दिया लेकिन इस बात को और इधर सदन के माध्यम से आपका ध्यान मैंने आकृष्ट किया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मांग किया चूंकि हमारे पत्रकार बंधु चाहे प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, आप भी इसी राज्य के रहने वाले हैं, आपके भी विकास में सहभागिता होगी कि आप गंभीरता से निष्पक्ष तरीके से बिना भेदभाव के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग किया है उसको आप लिखने का काम करें । आपसे बहुत-बहुत उम्मीद किया जाता है ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, अब बिहार राज्य गीत होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।